उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–3

संख्या–940 / IV(3)/2018-1(01) / 2012टी0सी0–1

देहरादूनः दिनांक 06 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या–3094 / 2017 (एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–178 / 2018(एम0एस0) सत्यप्रकाश ममगाई बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्या–28 / 2018(एम0एस0) अनीता असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या–2044 / IV(3)/2017-1(01) / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 06–11–2017 नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के सीमा विस्तार एवं अधिसूचना संख्या–2403 / IV(3)/2017-1(01) / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 08–12–2017 द्वारा नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश को उच्चीकृत किये जाने एवं अधिसूचना संख्या–2449 / IV(3)/2017-1(01) / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 08–12–2017 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को नगर निगम ऋषिकेश का प्रशासक नियुक्त किये जाने की तीनों अधिसूचना को निरस्त करते हुए नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या–703 / IV(3)/2018-1(01) / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 10–03–2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–696 / IV –3–2018–01 (02न0नि0) / 2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–578 / एल0बी0सी0/2017, दिनांक 28–03–2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसको शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए अधिसूचना संख्या–906 / IV(3)/2018-1(01) / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 05–04–2018 द्वारा नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश का सीमा विस्तार किया गया है। सीमा विस्तार के उपरान्त वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश की जनसंख्या 1,21,450 हो गयी है, जो नगर निगम के मानकों के अनुरुप है। अतः नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है।

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 3 की उपधारा (2) सपठित ''भारत का संविधान''के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ऋषिकेश नगर जिला देहरादून के समग्र विकास के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के वर्तमान लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को संविधान के भाग 9–क के प्रयोजनों हेतु वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए, और अग्रेत्तर संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन अधिसूचित करते है कि उक्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र (जो कि अनुसूची में उल्लिखित है) नगर निगम ऋषिकेश जिला देहरादून का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची

नगर पालिका परिषद ऋषिकेश का समस्त क्षेत्र

(आर0के0 सुधांशु)

सचिव।

संख्या– (1)/IV(3)/2018-1(01)/2012टी0सी0–1,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (2)/IV(3)/2018-1(01)/2012टी0सी0–1,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड़।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड़।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड़ शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, देहरादून।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड़ शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड़ सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–3

संख्या– 944/IV(3)/2018-1(01)/2012

देहरादूनः दिनांक 06 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) सह पठित संविधन के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति ओर इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–940/IV(3)/2017-1(01)/2012, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के कम में चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन ऋषिकेश वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये नगर निगम का सम्यक् गठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, राज्यपाल एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–5 के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु धारा 8 कक (1) के अधीन ऋषिकेश नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश की अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से विघटित किया जायेगा।

तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8कक (1) (ख) के अन्तर्गत ऋषिकेश नगर क्षेत्र के संचालन हेतु जिलाधिकारी, देहरादून को नगर निगम, ऋषिकेश का प्रशासक नियुक्त करते है।

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या– (1)/IV(3)/2018-1(01)/2012टी0सी0–1,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड़।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड़।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड़ शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, देहरादून।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड़ शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड़ सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
15. अध्यक्ष एवं समस्त सभासदगण, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश द्वारा निदेशक, शहरी विकास निदेशालय।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या–939 / IV(3)/2018-1(6न0नि0) / 2017
देहरादूनः दिनांक 06 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या–3094 / 2017 (एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–40 / 2018(एम0एस0) संघर्ष समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्या–2948 / 2018(एम0एस0) ग्रामसभा मवाकोट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या–1879 / IV(3)/2017-1(6न0नि0) / 2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पालिका परिषद, कोटद्वार के सीमा विस्तार एवं अधिसूचना संख्या–2402 / IV(3)/2017-1(6न0नि0) / 2017, दिनांक 08–12–2017 द्वारा नगर पालिका परिषद, कोटद्वार को उच्चीकृत किये जाने एवं अधिसूचना संख्या–2448 / IV(3)/2017-1(6न0नि0) / 2017, दिनांक 08–12–2017 द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को नगर निगम कोटद्वार का प्रशासक नियुक्त किये जाने की तीनों अधिसूचना को निरस्त करते हुए नगर पालिका परिषद, कोटद्वार के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या–701 / IV(3)/2018-1(6न0नि0) / 2017, दिनांक 10–03–2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–696 / IV–3–2018–01 (02न0नि0) / 2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या–141 / 21–L.B.C/2017–18, दिनांक 01–04–2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसको शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए अधिसूचना संख्या–920 / IV(3)/2018-1(6न0नि0) / 2017, दिनांक 05–04–2018 द्वारा नगर पालिका परिषद, कोटद्वार का सीमा विस्तार किया गया है। सीमा विस्तार के उपरान्त वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका परिषद, कोटद्वार की जनसंख्या व 1,02,903 हो गयी है, जो नगर निगम के मानकों के अनुरुप है। अतः नगर पालिका परिषद, कोटद्वार को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है।

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) सपठित ''भारत का संविधान''के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिला पौड़ी गढ़वाल के नगर कोटद्वार के समग्र विकास के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद कोटद्वार के वर्तमान लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को संविधान के भाग 9–क के प्रयोजनों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) के अधीन अधिसूचित करते है कि अनुसूची में उल्लिखित वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र, नगर निगम कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची

नगर पालिका परिषद् कोटद्वार का समस्त क्षेत्र

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या– (1)/IV(3)/2018-1(6न0नि0)/2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (2)/IV(3)/2018-1(6न0नि0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड़।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड़।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड़ शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड़ शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड़ सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोटद्वार।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–3

संख्या– 945 / IV(3)/2018-1(6न0नि0) / 2017

देहरादूनः दिनांक 06 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) सह पठित संविधन के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति ओर इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–939 / IV(3)/2018-1(6न0नि0) / 2017, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के कम में चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन कोटद्वार वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये नगर निगम का सम्यक् गठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, राज्यपाल एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–5 के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु धारा 8 कक (1) के अधीन कोटद्वार नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये नगर पालिका परिषद, कोटद्वार की अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से विघटित किया जायेगा।

तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8कक (1) (ख) के अन्तर्गत कोटद्वार नगर क्षेत्र के संचालन हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को नगर निगम, कोटद्वार का प्रशासक नियुक्त करते है।

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या– 945 (2) / IV(3)/2018-1(6न0नि0) / 2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड़।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड़।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड़ शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड़ शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड़ सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोटद्वार।
15. अध्यक्ष एवं समस्त सभासदगण, नगर पालिका परिषद, कोटद्वार द्वारा निदेशक, शहरी विकास निदेशालय।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या– 936 /IV(3)/2018-08(घो0)/2015
देहरादूनः दिनांक 05 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

रिट याचिका संख्या–3094/2017 (एम0एस0) श्री संजय जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्या–599/2018(एम0एस0) विजय प्रकाश पैन्यूली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में नगर पंचायत, चमियाला के गठन की अधिसूचना संख्या–23/IV(3)/2017-08(घो0)/2015 दिनांक 03–01–2017 को निरस्त करते हुए नगर पंचायत, चमियाला के गठन के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना संख्या–720/IV(3)/2018-08(घो0)/2015, दिनांक 10–03–2018 के द्वारा पुनः जनसामान्य की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नगर निकायों के सीमा विस्तार/गठन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–696/IV–3–2018–01 (02न0नि0)/2018, दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–मेमो कैम्प/21–09/एल0बी0सी0/ 2018, दिनांक 05–04–2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसको शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए नगर पंचायत, चमियाला के गठन के सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार अधिसूचना निर्गत की जाती है।

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1916) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), सपठित ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र के रुप में नगर पंचायत चमियाला के नाम से गठित किये जाने के लिये भारत के संविधान के भाग 9क के प्रयोजनार्थ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करते है। उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या–720/IV(3)/2018-08(घो0)/2015, दिनांक 10–03–2018 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पंचायत चमियाला, जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगाः–

अनुसूची–एक

क्र0सं0	ग्राम/क्षेत्र का नाम	कुल नसंख्या	ग्राम का कुल खसरा संख्या	रकवा (हेक्टेयर में)
1	लाटा	785	1069	29.390
2	चमियालागांव	930	2219	31.675
3	चमियाला बाजार	780	1641	28.568
4	चामा	750	582	23.409
5	श्रीकोट सौड़	680	548	28.144
6	भण्डारीगांव	600	395	13.880
7	बेलेश्वर	492	364	3.633
	कुल योग	5017	6818	158.699

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या– 936 (1)/IV(3)/2018-08(घो0)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 936 (2)/IV(3)/2018-08(घो0)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड़।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड़।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड़ शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड़ शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड़ सचिवालय परिसर।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चमियाला।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।